न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 135 / 2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. महिपाल मकवाना पुत्र स्व0 रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. उगली देवी पत्नी राजुराम 2. ओगड़राम पुत्र राजुराम 3. मदनलाल पुत्र मांगीलाल 4. रमेश पुत्र राजुराम 5. संतोष पुत्र राजुराम जातिगण मेघवाल निवासीगण साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0। 6. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद, अधिवक्ता वादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 30/10/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा साण्डिया, प0ह0 साण्डिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1468 रकबा 2.9900 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 03.09. 2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/1510 दिनांक 28.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 09.10.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 09.10.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा साण्डिया, प0ह0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

साण्डिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1468 रकबा 2.9900 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम साण्डिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0रां0	रकबा	किस्म	लगान
1.	महिपाल मकवाना पुत्र रूपाराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	1468	1.1213	बा.अ.	6.78
		01	1.1213	बा.अ.	6.78
2.	मदनलाल पुत्र मांगीलाल हि0 1/5 उगली देवी पत्नी राजूराम हि0 1/5 रमेश पुत्र राजूराम हि0 1/5 सन्तोष पुत्री राजूराम हि0 1/5 कौम मेगवाल सा. साण्डिया खातेदार	1468/1	1.8687	बा.अ.	11.16
		01	1.8687	बा.अ.	11.16

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत